Order Sheet [Contd] Case No 00035/16mqrrige act Cr.P.C.

| Date of Order or Proceeding Order or proceeding with Signature of presiding 16–12–16 अावेदक सहित श्री आर0एस0कुशवाह अधिवक्ता अनावेदिका सहित श्री राजेश शर्मा अधिवक्ता प्रकरण में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 गोहद के न्यायालय से इस प्रकरण में जारी रेफर आदेश में मध्यस्थता कराकर प्रकरण को सफल कर सेटेलमेंट डीड इस न्यायलय को भेजी उभयपक्षकार आज न्यायालय में उपस्थित हैं उभयपक्षकारों से उनके मध्य हुये समझोते के संबंध में पूछा गया उन्होंने उनके बीच समझोता हो जाना तथा समझोते के अनुसार एक साथ रहना व्यक्त किया विचारोपरान्त जबिक पक्षकारों के मध्य मध्यस्थता की कार्यवाही के अनुसार आपसी समझौता हो चुका है और अनावेदिका आवेदक के साथ रह रही है वर्तमान प्रकरण जो कि धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम का है की कार्यवाही समाप्त की जाती है परिणाम दर्ज कर दाखिल रिकार्ड हो अपर जिला जज गोहद | | Case No 00035/16mqrrige act Cr.P.C | |
|--|----------|--|--|
| अनावेदिका सहित श्री राजेश शर्मा अधिवक्ता । प्रकरण में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 गोहद के न्यायालय से इस प्रकरण में जारी रेफर आदेश में मध्यस्थता कराकर प्रकरण को सफल कर सेटेलमेंट डीड इस न्यायलय को भेजी । उभयपक्षकार आज न्यायालय में उपस्थित हैं । उभयपक्षकारों से उनके मध्य हुये समझोते के संबंध में पूछा गया उन्होंने उनके बीच समझौता हो जाना तथा समझोते के अनुसार एक साथ रहना व्यक्त किया । विचारोपरान्त जबिक पक्षकारों के मध्य मध्यस्थता की कार्यवाही के अनुसार आपसी समझौता हो चुका है और अनावेदिका आवेदक के साथ रह रही है । वर्तमान प्रकरण जो कि धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम का है की कार्यवाही समाप्त की जाती है । परिणाम दर्ज कर दाखिल रिकार्ड हो । | Order or | | Signature of Parties or Pleaders where |
| | 16-12-16 | अनावेदिका सिहत श्री राजेश शर्मा अधिवक्ता । प्रकरण में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 गोहद के न्यायालय से इस प्रकरण में जारी रेफर आदेश में मध्यस्थता कराकर प्रकरण को सफल कर सेटेलमेंट डीड इस न्यायलय को भेजी । उभयपक्षकार आज न्यायालय में उपस्थित हैं । उभयपक्षकारों से उनके मध्य हुये समझोते के संबंध में पूछा गया उन्होंने उनके बीच समझौता हो जाना तथा समझोते के अनुसार एक साथ रहना व्यक्त किया । विचारोपरान्त जबिक पक्षकारों के मध्य मध्यस्थता की कार्यवाही के अनुसार आपसी समझौता हो चुका है और अनावेदिका आवेदक के साथ रह रही है । वर्तमान प्रकरण जो कि धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम का है की कार्यवाही समाप्त की जाती है । परिणाम दर्ज कर दाखिल रिकार्ड हो । | |